## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 17 / 2022

थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर.

बनाम ......प्रार्थी0

श्री अजरुददीन पुत्र साहबुददीन जाति मुसलमान मेव उम्र 25 साल निवासी काबान का बास थाना खोह जिला भरतपुर

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 297 / 2022 धारा 5 / 8 में जप्त वाहन के बाबत।

**उपस्थित :–**

1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2–श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांक 03.8.2023

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि मुस्त0 श्री राजेश कुमार बल्देव कमार जाति जाट निवासी सुभाष नगर भरतपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाक 20.6.22 इस आश्य की पेश की गई संक्षेप में इस प्रकार है कि एक पिकअप गाडी नम्बर आरजे 32 जीबी 6420 मुख्य सडक पर सुभाष नगर रघु आटा चक्की के पास खडी है जिसमें 4 व्यक्ति मौहल्ले में घूमने वाली गायों को चोरी करके गौकशी के लिए गाड़ी में लाद रहे थे उन लोगो ने दो गायों को जबरदस्ती पिकअप में लाद भी लिया था उन से गायों को लादने का कारण पूछा तो तीन व्यक्ति घबराकर भाग गये तथा एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड लिया उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजरुददीन मेव बताया कहा कि इन लोगों के साथ आवारा गायों को लेने के लिये पिकअप लेकर आया था हमने पुलिस को फोन कर दिया पुलिस उस अजरुददीन नाम के

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

व्यक्ति को अपने साथ ले गई। पुलिस अनुसंधान में एफआईआर नम्बर 0297 / 2022 दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बयानात मुस्त0 व गवाहन लेखबद्ध किये गये दौरोने अनुसंधान बयानात मुस्त0 राजेश कुमार, सुरेश कुमार सत्यवीर सिंह मुकेश शर्मा मानसिह के कथन लेखबद्ध कर घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गौकशी के लिए गाय लेकर जाने वाली पिकअप नं. आरजे 32 जीवी 6420 को बतौर वजह सबूत जप्त किया गया, दौराने अनुसंधान प्रकरण की घटना के वक्त बनाई गई वीडियो को सीडी में प्राप्त करके सीडी को जरिये फर्द साक्ष्य अधिनियम सलंग्न पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपी अजरुद्धीन पुत्र साबुददीन जाति मुसलमान मेव के विरुद्ध धारा 5/8 आरबीए एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है, तथा प्रकरण में जप्त शुदा वाहन संख्या आरजे 32 जीवी 6420 गौंवश को गौकशी के लिये परिवहन कार्य के काम में लिया जा रहा था इस कारण वाहन का जप्त किया गया था। जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई, अप्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए का जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी ने अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में बहस सुने जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर को दिनांक 20.6.2022 मुस्त0 राजेश कुमार बल्देव कुमार निवासी सुभाष नगर भरतपुर वगै0 ने एक तहरीर पुलिस कोतवाली को दी गई जिसमें मौहल्ले में घूमने वाली गायों को पकड़ कर जबरदस्ती पिकअप में लाद रहे हैं, मौहल्ले के लोगों द्वारा पूछने पर तीन व्यक्ति भाग गये तथा एक व्यक्ति अप्रार्थी को मौके पर ही पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस द्वारा अपनी जांच में गौकशी के लिऐ गाय लेकर जाने वाली पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 को मौके से जप्त किया गया। सहायक लोक अभिभयोजक ने बताया कि पुलिस अनुसंधान बयानात गवाहन निजाम व आबिद के कथन लेखबद्व किये गये जो शामिल पत्रावली हैं ममल व अजरुददीन पुत्र अब्दुल से पूछताछ में अप्रार्थी के विरुद्व धारा 5/8 आरबीए

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। जप्त शुदा वाहन संख्या आरजे 32 जीबी 6420 को गौकशी में उपयोग में लिया जा रहा था। प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी के खिलाफ धारा 6ए का प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़त है। अप्रार्थी के वाहन से कोई गौंवश बरामद नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के कहने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जप्त थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जो धूप वर्षात से खराब हो रहा है। प्रकरण समाप्त किया जावे प्रार्थी के वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

**उक्त अधिनियम की धारा 6** Transporter to be abettor:–

> "......Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence........"

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि सुभाष नगर भरतपुर के निवासीयान कुछ व्यक्तियों द्वारा दिनांक 20.6.2023 को सुबह 8.30 एएम पर पुलिस थाना अधिकारी केातवाली भरतपुर को सूचना दी गई है कि एक पिक अप गाडी नम्बर आरजे 32 जीबी 6420 मुख्य सड़क पर सुभाष नगर रघु आटा चक्की के पास खडी है जिसमें चार व्यक्ति मौहल्ले में घूमने वाली गायों को चोरी करके

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

गौकशी के लिए गाड़ी में लाद रहे थे तथा उन लोगों ने दो गायों को जबरदस्ती पिकअप में लाद भी लिया था उनसे गायों को लादने का कारण पूछा तो उनमें से तीन व्यक्ति घबराकर भाग गये तथा एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस अनुसंधान में गौकशी के लिऐ गाय लेकर जाने वाली पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 को बतौर सबूत जप्त किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी कोतवाली भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 गौंवश तस्करी परिवहन में लिप्त पाया गया है।

अप्रार्थी द्वारा भी दिनांक 20.6.2023 को सुबह 8.30 एएम पर मौके से जप्त वाहन संख्या पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 मुख्य सडक पर सुभाष नगर रघु आटा चक्की के पास भरतपुर के पास खड़े नहीं होने गौवंश को लादने से इन्कार नहीं किया है। यानि अप्रार्थी0 एवं वाहन संख्या पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 में मौहल्ले में घूमने वाले गौंवश को पकड़ कर वाहन में लाद कर गौकशी के लिये परिवहन करने में लिप्त पाये गये हैं। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 5/8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 द्वारा धारा 6ए गौवशं अधि. के तहत अपने हक मे कोई साक्ष्य वगे. पेश करने से इन्कार करने पर प्रार्थी की प्रार्थना पर आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

..........5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र / 17 / 2022
एस.एच.कोतवाली,भरतपुर बनाम अजरुददीन

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation..........Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 वाहन पर राशि 300000/— (तीन लाख रुपये) जुर्माना (Fine) कायम की जाना एवं जुर्मान राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :—**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त पिकअप आरजे 32 जीबी 6420 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 300000/— (तीन लाख रुपये,) राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

( लोक बंधु )
जिला कलक्टर,
भरतपुर